पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

10 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा में पुनर्नियोजित होने पर मिलने वाले मासिक समेकित पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उक्त प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल के प्रथम सैल की 50 प्रतिशत राशि तथा उस पर विद्यमान महँगाई-भत्ते 38 प्रतिशत की राशि को जोड़कर 100 के गुणक में समेकित पारिश्रमिक राशि निर्धारित की गई है।
- इससे मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि की दरें लगभग दोगुनी हो गई हैं।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को बढ़ी हुई मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि मिल सकेगी। इससे एक तरफ उनकी आय में वृद्धि होगी, वहीं राज्य सरकार को भी सेवानिवृत्त कार्मिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि लगभग 5 वर्षों बाद पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक राशि में बढ़ोतरी की गई है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/increase-in-remuneration-of-redeployed-retired-personnel